पटना में दिनांक—13 नवम्बर, 2019 बुधवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

1.	राज्य सरकार से भिन्न संस्थानों में भुगतान के आधार पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों के वर्ष 2010 के उपरान्त अब तक तथा भविष्य में भी कर्त्तव्य के दौरान मृत्योपरांत उनके आश्रितों को अनुमान्य अनुग्रह—अनुदान की राशि का भुगतान महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के माध्यम से करने के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम—04—2011) के तहत निर्गत अधिसूचना सं०—1423 दिनांक—19.05.2011 (समय—समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट—1 के क्रमांक—33 में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की सेवाओं को नई सेवा के रूप में समावेशित करने के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूडकी द्वारा कमला—बलान तटबंध के टूटान के कारणों का अध्ययन/बाढ़ प्रबंधन/जलमार्ग/तटबंध के संरक्षण एवं अन्य तकनीकी सेवाए प्राप्त करने का कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 100.30 लाख) (एक करोड़ तीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	3.	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

4.	गया जिलान्तर्गत फल्गू नदी के बायें तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराने हेतु परामर्शी सेवा के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य, प्राक्कलित राशि 150.00 लाख रूपये (एक सौ पचास लाख रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	4.	**स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

5.	बिहार राज्य वन विकास निगम लि० (सम्प्रति अकार्यरत) के आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मियों का बिहार और झारखंड राज्य के बीच विभाजन के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

6.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र आदि के लिए सहमति शुल्क के निर्धारण का प्रावधान किए जाने हेतु बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन के संबंध में।	**6.**	**स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

9.	कर–प्रमादी (Tax defaulter) व्यावसायिक वाहनों एवं ट्रैक्टर–ट्रेलर को अर्थदण्ड/फीस/कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 दिनों के लिए सर्वक्षमा योजना दिये जाने तथा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–81 में विलम्बित फिटनैस प्रमाण–पत्र हेतु लगाये जाने वाले 50 रू० प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस को संलग्न अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से 90 दिनों तक के लिए फिटनैस फीस के प्रमादी (Fitness defaulter) वाहन के अतिरिक्त फीस को कम करने के संबंध में।	**9.**	**स्वीकृत।**